



महायान्त्रिक राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2015—आश्विन 4, शक 1937

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2015

क्र. एफ 22-15-2015-आठ.—केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 115 के उपनियम (7) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

स्कीम

1. संक्षिप्त नाम.—इस स्कीम का संक्षिप्त नाम “मोटरयान के प्रदूषण की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र को अधिकृत करने संबंधी स्कीम, 2015” है।

2. परिभाषाएँ.—इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मोटरयान अधिनियम, 1988 (1088 का 59);
- (ख) “प्राधिकार पत्र,” से अभिप्रेत है ऐसा प्रमाण-पत्र, जो मोटरयानों के निरीक्षण को प्राधिकृत करने के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र को जारी किया गया है;
- (ग) “प्रमाण-पत्र” से अभिप्रेत है ऐसा निरीक्षण प्रमाण-पत्र, जो नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा मोटरयान के स्वामी को जार किया है;
- (घ) “प्ररूप” से अभिप्रेत है इस स्कीम से संलग्न प्ररूप ;

- (ड.) "प्रदूषण जांच केन्द्र" से अभिप्रेत है केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 के उप नियम (7) के अनुसरण में प्राधिकृत किया गया केन्द्र ;
- (च) "नियम" से अभिप्रेत है केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989.

3. प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने हेतु अर्हता.— इस स्कीम के अधीन प्रदूषण निरीक्षण के लिए प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ आवश्यक होंगी :—

- (क) आवेदक ने आवेदन की तारीख को हाईस्कूल अथवा हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और वह आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का न हो ;
- (ख) प्रदूषण जांच केंद्र चलाने के लिए आवेदक या उसके कर्मचारी से अपेक्षित न्यूनतम योग्यता के रूप में मेकेनिक (डीजल), मेकेनिकल (मोटरयान) का आई.टी.आई. का प्रमाण-पत्र या समतुल्य अर्हता होनी चाहिए ;
- (ग) आवेदक को केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटरयान से उत्सर्जित होने वाले धुएं और गैस की जांच के लिए स्मोक मीटर (प्रिन्टर सहित), गैस एनलाईजर (प्रिन्टर सहित) और यानों की ट्यूनिंग के लिए आवश्यक अन्य उपस्कर रखना होगा ;
- (घ) ऐसे आवेदक को, जो मोटर वर्कशाप, मोटर सेवा केंद्र या पेट्रोल पंप चलाते हैं या जिनके पास प्रदूषण निरीक्षण उपस्कर सुसज्जित मोटरयान है, अधिमान दिया जाएगा ;
- (ड.) यदि आवेदक के, प्रदूषण जांच उपस्कर से सुसज्जित मोटर वर्कशाप, मोटर सेवा केंद्र या पेट्रोल पंप में काम करने वाले किसी कर्मचारी के पास आटोमोबाईल / मेकेनिकल इन्जीनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो उसे प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

प्राधिकार आदि जारी करने की प्रक्रिया—

- (1) इस स्कीम के अधीन प्रदूषण जांच केंद्रों को प्राधिकृत करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/ संबंधित जिले के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अधिक संख्या में परिचालित स्थानीय समाचार-पत्र में सामान्य विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्ररूप-1 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
- (2) परिवहन आयुक्त द्वारा स्थानीय क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र के लिए जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर अधिकृत किए जाने वाले प्रदूषण जांच केंद्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाएगी। प्रदूषण जांच केंद्र का स्थान अवधारित करते समय, राज्य राजमार्गों तथा विशेष स्थान पर यानों का आवागमन तथा यातायात का परिमाण ध्यान में रखा जाएगा। स्थान के अवधारण हेतु पेट्रोल और डीजल से चलाए जाने वाले यानों की संख्या और वाणिज्यिक तथा हल्के यान को विचार करने का आधार बनाया जाएगा।
- (3) इस स्कीम के अधीन प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदक का चयन, संबंधित जिले में संभागीय उप परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी इस स्कीम का कियान्वयन, संभागीय उप परिवहन आयुक्त के निर्देशों के अधीन करेंगे।
- (4) यदि उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, प्राधिकार पत्र के लिए जांच केंद्रों की विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक हो, तो प्राधिकार हेतु मोटर सेवा केंद्रों/मोटर वर्कशॉप तथा पेट्रोल पंप में उपलब्ध अतिरिक्त सुविधाओं तथा आवेदक के अनुभव को, प्राधिकार पत्र के लिए जांच केंद्रों के विनिर्दिष्ट संख्या में चयन किए जाने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। आरक्षित प्रवर्ग के आवेदकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
- (5) संभागीय उप परिवहन आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा चयन किए गए आवेदकों को प्राधिकार पत्र, प्ररूप-2 में जारी किया जाएगा।

- (6) आवेदन करने, प्राधिकार पत्र प्रदान करने और प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित फीस प्रभारित की जाएगी :—
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| (क) आवेदन के लिए | रुपए 1,000/- |
| (ख) प्राधिकार पत्र प्रदान करने के लिए | रुपए 10,000/- |
| (ग) प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण के लिए | रुपए 5,000/- |

5. प्राधिकार पत्र की कालावधि.—

- (1) प्रदूषण जांच केंद्र के लिए जारी किया गया प्राधिकार पत्र तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और उसे संभागीय उप परिवहन आयुक्त द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।
- (2) नवीनीकरण आवेदन रुपए 5,000/- फीस के साथ विधिमान्यता की कालावधि के समाप्त होने के 30 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा। विधिमान्यता की कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विलम्ब के कारण रुपए 100/- प्रतिमाह जमा किया जाएगा।
- (3) संभागीय उप परिवहन आयुक्त जांच केन्द्रों के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए प्राधिकार पत्र जारी करने / नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा अथवा नवीन प्राधिकार पत्र का अनुमोदन कर सकेगा।
- (4) जांच केंद्र का स्वामी, संभागीय उप परिवहन आयुक्त द्वारा पारित किए गए प्राधिकार पत्र जारी करने / नवीनीकरण करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध परिवहन आयुक्त, के समक्ष अपील फाईल कर सकेगा।
- (5) प्राधिकृत जांच केंद्र का स्वामी, प्राधिकार पत्र को किसी भी समय संभागीय उप परिवहन आयुक्त को समर्पित कर सकेगा और इस प्रकार समर्पित करने की तारीख से प्राधिकार पत्र रद्द किया गया माना जाएगा।

6. प्राधिकार पत्र का निलंबन / रद्दकरण.—

- (1) यदि संभागीय उप परिवहन आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि स्कीम के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केंद्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो वह ऐसी जांच, जैसीकि वह उचित समझे,

करने के पश्चात् और प्राधिकार पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र को रद्द/निलंबित कर सकेगा।

- (2) यदि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केंद्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो वह ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार पत्र के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्राधिकार पत्र को रद्द/निलंबित कर सकेगा।
- (3) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पारित किए गए प्राधिकार पत्र के निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील, संभागीय उप परिवहन आयुक्त को की जाएगी और संभागीय उप परिवहन आयुक्त द्वारा पारित किए गए रद्दकरण या निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील, परिवहन आयुक्त को की जाएगी और इस संबंध में अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।

जांच (टेस्टिंग) प्रमाण-पत्र।-

- (1) प्रदूषण जांच केंद्र का स्वामी, नियम 115 के उपनियम (7) के प्रयोजन के लिए प्ररूप-३ में यान के स्वामी को प्रमाण पत्र जारी करेगा जो छह मास के लिए विधिमान्य होगा।
- (2) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र का स्वामी, यान के स्वामी से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा:—

(क) दो पहिया यान हेतु	रुपए 100/-
(ख) तीन पहिया यान हेतु	रुपए 150/-
(ग) चार पहिया हल्के मोटर यान हेतु	रुपए 250/-
(घ) मध्यम मोटरयान हेतु	रुपए 300/-
(ङ.) भारी मोटरयान हेतु	रुपए 500/-

* यानों के स्वामियों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क में स्टिकर और प्रमाण पत्र का मूल्य सम्मिलित होगा।

8. प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण।-

- (1) परिवहन विभाग का कोई राजपत्रित अधिकारी, अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण कर सकेगा और वह ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित संभागीय उप परिवहन आयुक्त को भेजेगा।
- (2) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन, किया जा रहा है या नहीं?
- (3) यदि निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा संभागीय परिवहन उप आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण पत्र का इन नियमों के उल्लंघन में उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया गया है या अधिक फीस/शुल्क प्रभारित किया गया है, तो वह प्रदूषण जांच केन्द्र पर 5000/-रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा और यदि ऐसा जुर्माना तीन बार अधिरोपित किया जा चुका हो तो यह प्रदूषण जांच केन्द्र के प्राधिकार पत्र का निरस्त किए जाने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

9. रजिस्टर का संधारण।-

- (1) प्रत्येक प्रदूषण जांच केन्द्र उस यान की, जिसे कि प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जांच और जानकारी का एक रजिस्टर प्ररूप-4 में संधारित करेगा और यह जानकारी यथासंभव संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय में एक मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, उनकी अधिकारिता में के प्रदूषण जांच केन्द्रों के बौरे रजिस्टर में, प्ररूप-5 में संधारित करेगा।
- (3) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, प्रत्येक तिमाही को, विवरणी, परिवहन आयुक्त, रावालियर, मध्यप्रदेश को भेजेगा।

- (4) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर परिवहन अधिकारी, ऐसे प्ररूप में, जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, रिपोर्ट परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश और परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश को भेजेगा।

1. प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र।-

- (1) प्रदूषण जांच केन्द्र ऐसे स्वामियों को, जिन्हें प्ररूप-3 में प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, "नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र" (स्टीकर के रूप में) प्ररूप-6 में जारी करेगा जो गहरी हरी प्रस्फुटित पृष्ठभूमि का 10/6 सेन्टीमीटर का होगा और जो यान पर चिपकाने के लिए प्रदाय किया जाएगा।
- (2) प्ररूप-6 का प्रमाण-पत्र, पुस्तिका के रूप में दो प्रतियों में संधारित किया जाएगा, एक प्रति पीले कागज में तथा दूसरी प्रति सफेद कागज में होगी। पीले रंग की प्रथम प्रति यान के स्वामी को दी जाएगी। पुस्तिका को प्ररूप-6 में कमानुसार संधारित किया जाएगा।
- (3) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र, प्ररूप-6 में जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर दिनांक तथा मास छिद्रित (पंच) करेगा।
11. निर्देशों का अनुपालन।— राज्य सरकार तथा परिवहन आयुक्त, इस स्कीम के सुचारू क्रियान्वयन की दृष्टि से संभागीय परिवहन उप आयुक्त, परिवहन अधिकारियों तथा प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे। ऐसे निर्देशों का अनुपालन आबद्धकर होगा।
12. निरसन।— मोटरयान के प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र को अधिकृत करने की योजना, 2001 एतद्वारा, निरसित की जाती है :

परन्तु इस प्रकार निरसित स्कीम के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या किया गया आदेश, इस स्कीम के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या किया गया आदेश समझा जाएगा।

प्र॒लप-1

(नियम-4 (1) देखिए)

प्रदूषण जांच केन्द्र प्राधिकृत करने के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम (पिता / पति के नाम सहित)
2.	डाक का पूर्ण पता (मोटर वर्कशॉप / मोटर सेवा केन्द्र का रेखा चित्र तथा स्वामित्व का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
3.	अर्हता का प्रमाण-पत्र
4.	आवेदक के पास उपलब्ध मेक और गैस एनालाईजर (प्रिंटर सहित), स्मोक मीटर (प्रिंटर सहित) की पूर्ण विशिष्टियों सहित व्यौरे:- दस्तावेज, जांच केन्द्र स्वीकृत होने के 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा स्वीकृत आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।	1..... 2..... 3..... 4..... (क्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें)
5.	यानों का प्रवर्ग, जिनके प्रदूषण जांच के संबंध में प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने का आवेदन किया गया है:-	1..... 2..... 3..... 4.....
6.	आवेदक के अधीन कार्यरत स्टाफ़:- (क) मैनेजर (ख) फोरमैन / इंजीनियर (ग) मैकेनिक (घ) हेल्पर (ड) अन्य प्रशासनिक स्टॉफ (उनकी अर्हता सहित)
7.	क्या वर्कशॉप / मोटरसेवा केन्द्र में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं? (क) पानी की व्यवस्था (ख) विद्युत व्यवस्था (ग) प्रसाधन आदि की व्यवस्था
8.	क्या 10 से 15 तक यान खड़े करने के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध है ? (रेखाचित्र में दर्शाए गए अनुसार) (प्रदूषण जांच यान की दशा में आवश्यक नहीं)
9.	क्या गैस एनालाईजर तथा स्मोक मीटर को चलाने वाला स्टॉफ प्रशिक्षित है ?
10.	वाहन जांच रिपोर्ट को अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके नमूना हस्ताक्षर सहित,

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

आवेदक का नाम

प्रस्तुप-2
(नियम 4 (5) देखिए)
प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए प्राधिकार पत्र

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय.....की अधिकारिता के भीतर निम्न प्रवर्ग के यानों की प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मेसर्स.....को तारीख.....सेतक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत किया जाता है।

यानों के प्रवर्गः—

- (1)
- (2)
- (3)

प्रमाण पत्र.....से.....तक के लिए नवीनीकृत किया गया।

संभागीय उप परिवहन आयुक्त
संभाग.....

परिवहन अधिकारी

जिला.....

प्र॒र॒प—३

(नियम 7 (1) देखिए)
नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र
(मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत)

प्रदूषण जांच केन्द्र कोड संख्या

--	--	--

अनुक्रमांक..... जिला.....

प्रमाणित किया जाता है कि यान का सी.ओ. इनीशियल लेवल केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115(2) में निर्धारित स्तर के अनुसार है,

यान का प्रकार	निर्धारित मानक	मापित स्तर
पेट्रोल चलित यानों के लिए आइडलिंग सी.ओ. उत्सर्जन सीमा (लिमिट)	2/3 पहियों के यानों के लिए 4 पहियों के यानों के लिए	4.5 प्रतिशत आयतन द्वारा 3 प्रतिशत आयतन द्वारा
समस्त डीजल यानों के लिए धुएं के घनत्व की विहित सीमा	धुएं का आयतन सीओ. एचओ एनओ	6.5 हार्ट्रिज इकाई 14 ग्राम / के.डब्ल्यू.एच. 3.5 ग्राम / के.डब्ल्यू.एच. 18 ग्राम / के.डब्ल्यू.एच.

जांच केन्द्र का नाम.....

केन्द्र का कोड नंबर

--	--	--

जिला.....

जांच शुल्क रूपए.....

जांच का दिनांक.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर कर्ता का नाम तथा मोहर

प्रिंटर से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न होने पर ही प्रमाण पत्र वैध रहेगा, प्रमाण पत्र की वैधता जारी करने के दिनांक से छह माह के लिए रहेगी, यान की पुनः जांच 90 दिन बाद करवाएं।

टिप्पणी:- किसी भी शिकायत की दशा में कृपया संबंधित संभागीय उप परिवहन आयुक्त, परिवहन अधिकारी को सूचित करें।

प्ररूप-4**(नियम 9 (1) देखिए)**

न अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले प्रदूषण जांच केन्द्र के व्यौरों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	दिनांक	यान का पंजीयन क्रमांक	यान का प्रकार	जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक	प्रभारित शुल्क	यान के स्वामी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप-5**(नियम 9 (2) देखिए)**

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश को भेजी जाने वाली त्रैमासिक विवरणी के व्यौरे।

अनुक्रमांक	प्राधिकृत एजेन्सी का नाम तथा पता	प्राधिकृत एजेन्सी के स्वामी का नाम तथा पता	जारी प्राधिकार पत्र का क्रमांक	प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख	प्राधिकार पत्र की विधिमान्यता की कालावधि	प्राधिकार पत्र के निलंबन/रद्दकरण/नवीनीकरण के व्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)


प्ररूप-6**(नियम 9 (3) देखिए)**

परिवहन अधिकारी द्वारा परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन और परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश को भेजी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट।

अनुक्रमांक	प्राधिकृत एजेन्सी का नाम तथा पता	प्राधिकृत एजेन्सी के स्वामी का नाम तथा पता	जारी प्राधिकार पत्र का क्रमांक	प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख	प्राधिकार पत्र की विधिमान्यता की कालावधि	प्राधिकार पत्र के निलंबन/रद्दकरण/नवीनीकरण के व्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप-7
(नियम 10 देखिए)

नियंत्रित प्रदूषण



परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

1-7

15-21

8-14

22-31

प्रदूषण जांच केन्द्र कोड क. :

जिला :

“मांगने पर वैध नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।”

F-22-16-2015-VIII.—In pursuance of sub-rule (7) of rule 115 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the State Government, hereby makes the following Scheme, namely:—

SCHEME

- 1. Short title.**- This scheme may be called the Motoryan Ke Pradushan Ki Janch Ke Liye Pradushan Janch Kendra Ko Adhikrit Karne Sambandhi Yojna, 2015.

- 2. Definitions.**- In this scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
 - (b) “Authorisation letter” means the certificate issued to the pollution testing centre for authorising to inspect the Motor Vehicles;
 - (c) “Certificate” means inspection certificate issued under sub-rule (7) of rule 115 by the authorised testing centre to the owner of the motor vehicle;
 - (d) “Form” means the forms appended to this scheme;
 - (e) “Pollution Testing Centre” means the centre authorised in pursuance of sub-rule (7) of rule 115 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;
 - (f) “Rule” means Central Motor Vehicle Rules, 1989.

3. Qualification for obtaining authorisation letter.- For obtaining authorization letter for pollution test under this scheme, the following qualification shall be necessary:-

- (a) The applicant must have passed High School or Higher Secondary Examination and should not be less than 18 years of age on the date of application.
- (b) The Applicant or his employee to operate pollution testing centre must have certificate from I.T.I in mechanic (Diesel), Mechanical (Motor Vehicle) certificate or equivalent qualification.
- (c) The applicant shall have smoke meter (with printer) gas analyser (with printer) complying the requirement under Central Motor Vehicles Rules, 1989 for checking the smoke and gas emission from the motor vehicles and other necessary equipments for tuning of vehicles.
- (d) The applicant who operates motor workshop, motor service centre, or petrol pump and who has the centre equipped with pollution testing equipments, shall be given preference.
- (e) If any of the employee of the applicant working in the motor work-shop, motor service centre or petrol pump equipped with pollution testing equipments, is having Automobile/Mechanical Engineering Diploma/Degree recognised by the State Government, shall be given priority in obtaining the authorisation letter.

4. **Procedure to issue authorisation etc.-** (1) Under this scheme, the application for authorisation of pollution testing centres shall be invited in Form-I by the Regional Transport Officer/ Additional Regional Transport Officer/ District Transport Officer of the concerning District by publishing general advertisement in the local news paper of larger circulation.
- (2) The Transport Commissioner having regard to the number of registered motor vehicles in the local area, shall determine maximum number of pollution testing centres to be authorised in that area on the basis of report obtained from the District Transport Officer. While determining the place of pollution testing centres, the State Highways and movement of vehicles on particular places and volume of traffic shall be kept in mind. For determination of the place, number of petrol and diesel driven vehicles and commercial as well as light motor vehicle shall be the basis of consideration.
- (3) Under this scheme the selection of the applicant for issue of authorisation letter shall be made by the Divisional Deputy Transport Commissioner in the concerning division. The Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer shall implement the scheme under the direction of Divisional Deputy Transport Commissioner
- (4) If the number of applications received under sub-rule (1) are more than the specified number of testing centres for authorisation letter, then the additional facilities provided at

the motor service centre, motor workshops and petrol pump for authorisation and the experience of the applicant shall be kept in view of selecting specified number of testing centres for authorisation letter. The applicants of reserved category shall be given proper representation.

(5) The authorisation letter in Form-II shall be issued to the selected applicants by the Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer after approval of the Divisional Deputy Transport Commissioner.

(6) The following fee shall be charged for the application of granting of authorisation letter and renewal of authorisation letter:-

(a) For application	Rs. 1000/-
(b) For granting of authorisation letter	Rs. 10000/-
(c) For renewal of authorisation letter	Rs. 5000/-

5. Validity of Authorisation letter.-(1) the authorisation letter issued for pollution testing centre shall be valid for three years and it may be renewed by the Divisional Deputy Transport Commissioner for a period of one year.

(2) The renewal application accompanied with a fee of Rs. 5000/- shall be submitted before 30 days from the expiry of the period of validity. Rs.100/- per month on

account of delay shall be deposited on the application submitted after the period of validation.

(3) The Divisional Deputy Transportation Commissioner may refuse to issue renew the authorisation letter by recording the reasons in writing after giving the opportunity of hearing to the owner of the testing centre or may approve the new authorisation letter.

(4) Against the order of refusal of issue/renewal of authorisation letter passed by the Divisional Deputy Transport Commissioner, the owner of the testing centres may file appeal before the Transport Commissioner.

(5) The owner of the authorised testing centre may surrender the authorisation letter at any time to the Divisional Deputy Transport Commissioner and the authorisation letter shall be treated as cancelled from the date of such surrender.

6. Suspension/Cancellation of authorisation letter.-

(1) The Divisional Deputy Transport Commissioner, if satisfied that any pollution centre authorised under the scheme does not comply with the provisions of the Act or rules made thereunder and the conditions of authorisation letter then after making such enquiry as he deems fit, and after giving opportunity of hearing to the holder the authorisation letter, may by order cancel/suspend the authorisation letter.

(2) Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer, if satisfied that the pollution testing centre authorised under this scheme does not comply the provisions of the Act and the rules made thereunder and the conditions of the authorisation letter, then he may after making such enquiry as he deems fit and after giving opportunity of hearing to the holder of authorisation letter, suspend the authorisation letter.

(3) Against the order of suspension, the authorisation letter passed by the Regional Transport Officer/ Additional Regional Transport Officer/ District Transport Officer, the appeal shall prefer to the Divisional Deputy Transport Commissioner and against the order of cancellation or suspension passed by the Divisional Deputy Transport Commissioner, the second appeal shall be preferred to the Transport Commissioner and the order passed by the Appellate Authority in appeal shall be final in this respect.

7. **Testing Certificate.**-(1) The owner of the pollution testing centre for the purpose of sub-rule (7) of rule 115 shall issue certificate in Form-III to the owner of the vehicle which shall be valid for six months.
- (2) The owner of the authorised pollution testing centre shall charge fee from the owner of the vehicle for issuing certificate on the following rates:-

(a)	For two wheeler vehicle	-	Rs. 100.00
(b)	For three wheeler motor vehicle	-	Rs. 150.00
(c)	For Four wheeler light motor vehicle	-	Rs. 250.00
(d)	Medium motor vehicle	-	Rs. 300.00
(e)	Heavy motor vehicle	-	Rs. 500.00

** The fee charging from the owners of the vehicles shall include the price of sticker and certificate.

8. **Inspection of Pollution Testing Centre.** - (1) Any Gazetted Officer of the Transport Department may inspect pollution testing centre within his Jurisdiction and he shall send the inspection report of each such inspection to the concerned Divisional Deputy Transport Commissioner;
- (2) The inspecting Officer during inspection shall enquire that whether the provisions of the Act and rules made thereunder and conditions of the authorisation letter are being complied or not by the pollution testing Centre.
- (3) On the report of the inspecting Officer or on the information received otherwise, if the Divisional Deputy Transport Commissioner is satisfied that the certificate is being issued or has been issued by the pollution testing centre in contravention of these rules or excess fee has been charged, then he may impose fine upto Rs.5000/- on the pollution testing centre and if such fine has been imposed

for three times, it shall be the adequate ground for cancellation of authorisation letter of the pollution testing centre.

9. Maintenance of Register.-(1) Every pollution testing centre shall maintain a register in Form IV for the testing and the information of vehicle to which the certificate is issued and this information shall be submitted as far as possible within one month to the office of the Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer concerned.

(2) Every Regional Transport Officer/ Additional Regional Transport Officer/ District Transport Officer shall maintain the details of authorised pollution testing centres under their jurisdiction in the register in Form-V

(3) The Regional Transport Officer/ Additional Regional Transport Officer/ District Transport Officer shall send return in Form-VI for every quarter to the Transport Commissioner, Gwalior, Madhya Pradesh.

(4) At the end of the financial year, the Transport Officer shall send the report in such form as may be prescribed by the State Government to the Transport Department, Madhya Pradesh and Transport Commissioner, Madhya Pradesh.

10. Pollution Testing Certificate.-(1) The Pollution Testing Centre "The Pollution under control certificate" (sticker type) in Form-VII shall be issued to those owners, to whom the certificate in Form-III has been issued which shall be in

dark green efflorescent background of 10/6 Centimetre and which shall be provided for affixing on the vehicle.

(2) The certification relating to Form-VII shall be maintained in duplicate in a book form of which one copy in yellow paper and second copy shall be in white paper. The first copy in yellow colour shall be given to the owner of the vehicle. The book shall be maintained serially in Form-VII.

(3) The authorised pollution testing centre shall punch the date and month on the certificate issued in this behalf in Form-VII.

11. Compliance of the directions.- The State Government and the Transport Commissioner, in view of the smooth implementation of this scheme, may issue necessary directions from time to time, to the Divisional Deputy Transport Commissioner, Transport Officer and the authorised pollution testing centres. The Compliance of the directions shall be binding.

12. Repeal.- The Motoryan Ke Pradushan Ki Janch Ke Liye Pradushan Janch Kendra Ko Adhikrit Karne Sambandhi Yojna, 2001 is hereby repealed:

Provided that any action or order which have been taken or made under the provisions of the scheme so repealed shall be deemed to have been taken or made under the corresponding provisions of this scheme.

FORM-I

[see rule 4(1)]

**APPLICATION FOR AUTHORISATION OF POLLUTION
TESTING CENTRE**

1.	Name of applicant (including father's/husband's name)	
2.	Full postal address (enclosed the drawing map of motor workshop/motor service centre and certificate of ownership)
3.	Certificate of Qualification	
4.	Full details of make available with the applicant and complete specification of gas analyser (with printer) and smoke meter (with printer:- Document shall be submitted within 15 days after sanction of testing centre otherwise sanctioned order shall be treated as cancelled automatically.	1----- 2----- 3----- 4-----
5.	Categories of vehicle for which application is made to obtain authorisation letter in respect of pollution testing	1----- 2----- 3-----
6.	Staff working under the applicant.- (a) Manager (b) Foreman/Engineer	

	(c) Mechanic (d) Helper (e) Other Administrative Staff (alongwith their qualifications)	
7.	Whether the following facilities are available in the workshop/motor service centre vehicles,- (a) Arrangement of Water; (b) Arrangement of Electricity; (c) Arrangement of Toilets etc.	
8.	Whether proper place is available for parking 10 to 15 vehicles (shown in the drawing map) (not necessary in case of pollution testing vehicle)	
9.	Whether the operating staff of Gas Analyser and Smoke meter is trained ?	
10.	Name of the persons alongwith specimen signature attesting the vehicle testing report.	

Place:-**Date:-****Signature of Applicant****Name of the Applicant**

FORM-II
[see rule 4(5)]

Authority Letter for Pollution Testing Centre

For issuing the pollution testing certificate about the following category of vehicles within the jurisdiction of the office of the Regional/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer.....
m/s authorised from
to under the following conditions.

Category of vehicles:-

- 1.
- 2.
- 3.

Certificate has been renewed fromto.....

**Divisional Deputy Transport
Commissioner**

Division.....

Transport Officer

District.....

FORM-III

[see rule 7(1)]

POLLUTION UNDER CONTROL CERTIFICATE**(Authorised by Transport Department Government of M.P.)**

Pollution Testing Centre code number

--	--	--

District.....

S.No.....:

Certified that the vehicles CO initial level conforms to the standards prescribed under sub-rule (2) of Rule 115 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

Class of vehicle	Prescribed standard	Measured Level	Name of the Testing Centre.....
Idling CO Emission limit for petrol driven vehicles	2/3 wheeled vehicles	4.5% by volume	Code No. Of the Centre.....
	Four wheeled vehicles	3% by volume	District.....
Demark limit of smoke density for all diesel driven vehicles	Volume of smoke	6.5% hirtidge unit	Testing fee Rs.....
			Date of Testing
			Signature of Authorised Signatory
			Name of signatory and seal
	CO	14 gm/kwh	
	HC	3.5 gm/kwh	
	No	18 gm/kwh	

The Certificate shall be valid on enclosing of report obtained from the printer.

The Certificate shall be valid for six month from the date of issue advised recheck after 90 days.

Note:-In case of any complaint, please inform to concerning Divisional Deputy Transport Commissioner/Transport Officer.

FORM-IV

(see rule 9(1))

**Report to be submitted to the Regional/Additional/District
Transport Officer by the pollution testing centre**

S.No.	Date	Registration number of the vehicle	Type of Vehicle	Serial number of Certificate to be issued	Fees Charged	Signature of the Vehicle holder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM-V

(see rule 9(2))

**Register showing details of authorised Agencies in respect of
pollution testing in the office of the Transport
Commissioner/District Transport Officer**

S.No.	Name and Address of Authorised Agency	Name and Address of owner of Authorised Agency	No. of Authority letter issued	Date of issue of authority letter	Validity period of Authority letter	Details of suspension/cancellation/renewal of authority letter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM-VI
[see rule 9(3)]


The Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer shall send Return for every quarter to Transport Commissioner, Madhya Pradesh

S.No.	Name and Address of Authorised Agency	Name and Address of Authorised Agency	No. of Authority letter issued	Date of issue of authority letter	Validity period of authority letter	Details of suspension/cancellation/renewal of authority letter
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM-VII

(see rule 10)

Pollution under Control



Transport Department
Government of Madhya Pradesh

1-7

15-21

8-14

22-31

Pollution Control Code No.....

District.....

"Produce on demand of valid Pollution under control certificate."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.